6

सामाजिक सुरक्षा

प्रस्तावना

6.1 सामाजिक सुरक्षा सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, मृत्यु और बुढ़ापे के समय समुचित सहायता प्रदान करती है । सरकार का यह मूलभूत उत्तरदायित्व है कि वह देश के कामगार वर्ग तथा उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा तथा सहायता मुहैया करवाने के लिए समुचित प्रणाली विकसित करे । भारत में शहरीकरण और कार्यस्थल के स्थानांतरण के कारण परम्परागत पारिवारिक सहायता के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सहायता प्रणाली को प्रमुखता मिली है । सामाजिक सुरक्षा पर निर्भरता आवश्यकता और आय-स्तर के अनुसार भिन्नता लिए है ।

सामाजिक सुरक्षा कानून

6.2 केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानून निम्नलिखित हैं :-

- **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948**
- **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (कोयला खानों और असम राज्य में चाय बागानों में नियोजित कर्मकारों और नाविकों के लिए अलग से भविष्य निधि विधान है) ।**
- **कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923**
- **प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961**
- **उपदान संदाय अधिनियम, 1972**

सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों का प्रशासन

6.3 क.भ.निधि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम का संचालन भारत सरकार द्वारा क.भ.निधि. संगठन के माध्यम से किया जाता है । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन नकद हितलाभ के भुगतान का संचालन क.रा.बी.निगम (ई.एस.आई.सी.) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन चिकित्सीय देख-रेख का संचालन राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा किया जा रहा है । उपदान संदाय अधिनियम का संचालन सरकार के नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों, जिनकी शाखाएं एक से अधिक राज्यों में हैं प्रमुख गोदियों, खानों, तेल, क्षेत्रों और रेलवे के लिये केन्द्र सरकार द्वारा और शेष मामलों में राज्य सरकारों, तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है । यह अधिनियम कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है । खानों और सर्कस उद्योग में, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के उपबंधों का संचालन मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि कारखानों, बागानों और अन्य प्रतिष्ठानों में राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबंधों का संचालन राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है ।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

6.4 इस अधिनियम का लक्ष्य कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन व बीमा के अंशदान को अनिवार्य बनाना है । इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान में निम्नलिखित तीन योजनाएं चलाई जा रही हैं:

- **कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952**
- **कर्म. निक्षेप. सहबद्ध बीमा योजना, 1976**
- **कर्मचारी पेंशन योजना, 1995**

सदस्यों एवं स्थापनाओं की व्याप्ति

6.5 वर्तमान में यह अधिनियम 180 विनिर्दिष्ट उद्योगों/स्थापना के वर्गो पर लागू होता है । यह अधिनियम प्रत्येक ऐसी स्थापना पर लागू होता है जो अधिनियम की अनुसूची I में विनिर्दिष्ट एक या अधिक उद्योगों में या शासकीय राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित गतिविधि में संलग्न है, जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हों । 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार छूट प्राप्त और अछूट प्राप्त क्षेत्र दोनों में क.भ.नि. योजना के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन 3,44,508 स्थापनाएं और कारखाने व्याप्त किए गए हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 394.98 लाख है । दिनांक 1.6.2001 से किसी व्याप्त स्थापना में कार्यभार ग्रहण करने वाले तथा 6500/- रुपये तक प्रति माह वेतन लेने वाले कर्मचारी इसके सदस्य बनते हैं ।

योजना के अंतर्गत लाभ

6.6 कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सदस्यों को अग्रिम के रूप में आंशिक प्रत्याहरण करने की सुविधा दी जाती है । वर्ष 2002-2003 के दौरान, सदस्यों को 4.62 लाख ऐसे मामले निपटाकर तथा 1373.73 करोड़ रुपये वितरित करके आंशिक प्रत्याहरण की अनुमति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई । साथ ही, अधिनियम के अंतर्गत 18.31 लाख दावे निपटाए गए तथा 6621.34 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई ।

कर्मचारी भविष्य निधि बकाया

6.7 दिनांक 31.3.2003 तक भविष्य निधि बकाया 1511.79 करोड़ रुपये था क.भ.नि. संगठन चूककर्ता नियोक्ताओं के विरूद्ध क.भ. नि. अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत दाण्डिक कार्रवाई भी करता है । साथ ही, संगठन उन नियोक्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत दंड देता है जो कर्मचारियों का अंशदान काटते तो हैं किन्तु उसे निधि में जमा नहीं कराते । वर्ष 2002-2003 के दौरान 885.99 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल की गई ।

कर्मचारी, निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना,1976

6.8 कर्मचारी.निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना,1976, 1 अगस्त, 1976 से सभी कारखानों/स्थापनाओं पर लागू होती है । वे सभी कर्मचारी जो क.भ.निधि. के सदस्य हैं, से अपेक्षा है कि वे इस योजना के भी सदस्य बने । कर्मचारी सदस्यों को बीमा निधि के लिए अंशदान वेतन जैसे मूल वेतन, महंगाई भत्ता जिसमें भोजन रियायत की कैश वैल्यु तथा प्रतिधारण भत्ता शामिल है, यदि कोई है, उसके 0.5 प्रतिशत की दर से बीमा भुगतान निधि अंशदान का भुगतान करना अपेक्षित है । वर्ष-2002-2003 के दौरान 158.62 करोड़ रुपये नियोक्ताओं के अंशदान के रूप में जमा किए गए । वर्ष 2002-03 के दौरान 20,871 दावे निपटाए गए और 51.99 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई । वर्ष 2002-03 के अंत तक इस योजना के अधीन क.भ.निधि.सं. का 3485.22 करोड़ रुपए का संचयी निवेश था ।

कर्मचारी पेंशन योजना-1995

व्याप्ति

6.9 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 दिनांक 16.11.1995 से लागू की गई । पेंशन योजना के आरम्भ होने पर पूर्व में लागू परिवार पेंशन योजना,1971 समाप्त कर दी गई । तथापि, जो पेंशनभोगी पूर्व की परिवार पेंशन योजना के लाभ प्राप्त कर रहे थे, वे कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के अंतर्गत परिवार पेंशन प्राप्त करते रहेंगे ।

पात्रता

6.10 सदस्यों की आयु 58 वर्ष होने पर तथा कम-से-कम 10 वर्ष की अंशदायी सेवा (जिसमें सदस्यता अवधि तथा परिवार पेंशन योजना, 1971 की अवधि शामिल है), होने पर वे अधिवर्षिता-निवृत्ति पेंशन पाने के हकदार होंगे । 10 वर्ष से कम सेवा होने पर, सदस्य योजना प्रमाण-पत्र अथवा प्रत्याहरण लाभ, जैसी भी स्थिति हो, पाने के हकदार होंगे।

योजना के अंतर्गत लाभ

6.11 कर्मचारी पेंशन योजना, 95 में निम्नलिखित स्थितियों के लिए पेंशन लाभ दिया जाता है :

- 58 वर्ष की आयु होने पर अधिवर्षिता-निवृत्ति
- सेवानिवृत्ति हितलाभ
- पूर्ण स्थायी अपंगता
- सेवा के दौरान मृत्यु
- सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता-निवृत्ति/ पूर्ण स्थायी अपंगता के पश्चात् मृत्यु
- बाल पेंशन
- अनाथ पेंशन

6.12 वर्ष 2002-2003 के दौरान क.भ.नि.सं. द्वारा निपटाए गए पेंशन दावों (सभी लाभ) का श्रेणीवार ब्योरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

दावों की श्रेणी	निपटाए गए दावों की संख्या
मासिक पेंशन लाभ	356870
जीवन बीमा लाभ	3758
सेवानिवृत्ति एवं प्रत्याहरण लाभ	1832052
प्रतिदाय	20013
कुल	**2212693**

पेंशन निधि अंशदान

6.13 योजना का वित्त पोषण, नियोक्ताओं के भविष्य निधि अंशदान से 8.33% अन्तरित करके व केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में मूल वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से किया जाता है । समाप्त की जा चुकी परिवार पेंशन की कुल संचित राशि पेंशन निधि की समुच्य राशि है । वर्ष 2002-2003 के दौरान 4787.84 करोड़ रुपये पेंशन निधि अंशदान के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें 4787.84 करोड़ रुपये नियोक्ताओं का तथा 400 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार का अंशदान है ।

पेंशन लाभाधिकारी

6.14 समाप्त की जा चुकी परिवार पेंशन योजना के लाभाधिकारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ पाते रहेंगे । दिनांक 31.3.2003 को योजना के अंतर्गत 7,50,657 सदस्य, 3,87,752 पति/पत्नी, 2,90,916 बच्चे, 5,808 अनाथ एवं 6,537 नामिती पेंशन प्राप्त कर रहे हैं । वर्ष के दौरान पेंशन भोगियों को कुल 995.89 करोड़ रुपये राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं डाकघरों के माध्यम से वितरित किए गए ।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम क.भ.नि.सं. का आधुनिकीकरण

6.15 इस समय क.भ.नि.सं. के देश भर में 260 कार्यालय हैं जिनमें 20,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और सूचना तकनीकी सुधार कार्यक्रम की कार्रवाई की जा रही है जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में एकीकृत सूचना तंत्र स्थापित करना है ।

“क.रा.भ.सं.- आधुनिकीकरण” कार्यक्रम :-

- प्रत्येक अभिदाता को अखिल भारतीय विशिष्ट पहचान संख्या का आवंटन किया जाएगा, स्थापनाओं को भी अलग से एक विशिष्ट पहचान संख्या का आबंटन उनकी कारोबारी संख्या के रूप में किया जाएगा ।
- अभिदाता-सदस्य किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर अपना खाता संख्या बताकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं अर्थात् “किसी भी समय-कहीं भी” सेवा मुहैया करवाना अपेक्षित है ।
- यह अनुपालन कार्य-पद्धति सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी जो एकत्र की गई सूचना एवं तीसरे दल द्वारा एकत्र की गई सूचना पद्धति पर निर्भर होगी ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

व्याप्ति

6.16 क.रा.बीमा अधिनियम में बीमारी, प्रसूति और रोजगार के दौरान लगी चोट के मामलों में स्वास्थ्य देखरेख और नकद लाभों का प्रावधान है । अब यह बिजली का प्रयोग करने वाले और 10 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-मौसमी कारखानों तथा बिजली का प्रयोग न करने वाले और 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों तथा कतिपय अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है । इस अधिनियम को क्षेत्रवार चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है । कर्मचारी राज्य बीमा योजना 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 678 केन्द्रों में संचालित है । अब तक योजना के अंतर्गत 78.65 लाख बीमाकृत व्यक्तियों एवं लगभग 303.73 लाख लाभाधिकारियों को व्याप्त किया गया है । वर्ष के अंत तक व्याप्त कारखानों तथा स्थापनाओं की संख्या बढ़कर 2,55,000 तक पहुंच गई ।

प्रशासन

6.17 क.रा.बी.योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.निगम) नामक सांविधिक निकाय द्वारा प्रशासित की जाती है जिसमें नियोक्ता,कर्मचारी, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें, चिकित्सा व्यवसाय एवं संसद के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं । केन्द्रीय श्रम मंत्री इसके अध्यक्ष हैं । निगम के सदस्यों से ही गठित स्थायी समिति योजना के प्रशासन में कार्यकारिणी निकाय की भूमिका निभाती है तथा इसके अध्यक्ष, अपर सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, हैं । वर्तमान में 21 क्षेत्रीय बोर्ड, 358 स्थानीय समितियां मौजूद हैं । महानिदेशक निगम (क.रा.बी.निगम) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं पदेन सदस्य भी हैं । क.रा.बी.निगम के दिल्ली में स्थित मुख्यालय के अलावा देश भर में 23 क्षेत्रीय कार्यालय, 16 उप क्षेत्रीय कार्यालय, 625 स्थानीय कार्यालय, 299 निरीक्षण कार्यालय एवं 215 भुगतान कार्यालय हैं जो योजना का प्रशासन चला रहे हैं ।

योजना का वित्त पोषण एवं प्रचालन

6.18 क.रा.बी.योजना का वित्त पोषण मूलतःनियोक्ताओं एवं कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान से होता है। नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के अंशदान की दर क्रमशः4.75 प्रतिशत तथा 1.75 प्रतिशत है । चिकित्सा देखरेख पर होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार का शेयर 12.5% (प्रति व्यक्ति सीमा के भीतर 1/8 भाग) है । निगम ने चिकित्सा देखरेख पर होने वाले शेयर योग्य व्यय की सीमा निर्धारित की है । 1 अप्रैल,2003 से प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार एकक के व्यय की सीमा को 700/-रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया और 01-04-2004 से इसे बढ़ाकर 750/- रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है । क.रा.बी. निगम के अस्पतालों एवं अन्य भवनों के निर्माण तथा उनके रख-रखाव पर होने वाला पूंजीगत व्यय निगम द्वारा ही वहन किया जाता है ।

स्वास्थ्य संबंधी लाभ

6.19 इस योजना में बीमाकृत व्यक्तियों (आई.पी.) को प्राथमिक स्वास्थ्य-सेवा से लेकर अति विशेषज्ञ उपचार की सभी चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं । दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के नोएडा को छोड़कर योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इस संबंध में उनकी सांविधिक जिम्मेदारी है । निगम प्रत्यक्ष रूप से पांच व्यावसायिक रोग केन्द्रों एवं सामान्य अस्पतालों को भी प्रशासित करता है जिनमें, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कोलकाता एवं नागदा (म.प्र.) प्रत्येक में एक-एक है ।

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा की संरचना(31.3.2003 की स्थिति के अनुसार)	
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की संख्या	142
कर्मचारी राज्य बीमा एनेक्सियों की संख्या	43
कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निर्मित बिस्तरों की संख्या	23856
कर्मचारी राज्य बीमा एनेक्सियों में बिस्तर संख्या	867
राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों की संख्या	4000
बीमा चिकित्सा व्यवसायियों/बी. चि. व्यव. की संख्या	6812
क.रा.बीमा औषधालयों की संख्या	1447
पैनल क्लीनिकों की संख्या	2651

वर्ष 2002-2003 में निगम की उपलब्धियाँ

- कर्मचारी राज्य बीमा योजना 142 अस्पतालों, 43 एनेक्सियों, 1452 औषधालयों, 2000 क्लीनिकों तथा 840 स्थानीय कार्यालयों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से 310 लाख लाभाधिकारियों को सामाजिक संरक्षण उपलब्ध कराती है ।

- वर्ष 2002-2003 के दौरान निगम ने हैदराबाद, जयपुर, राऊरकेला, साहिबाबाद, पुणे, चंडीगढ़, आश्रमम, बेंगलूर, रांची, पटना तथा गुवाहाटी में मॉडल अस्पतालों के रूप में विकसित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का संचालन अपने हाथ में लिया है ।

- आंशिक अपगता हितलाभ की मौजूदा सारांशीकरण की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया गया ।

- चिकित्सा सुविधाओं का दुरूपयोग रोकने के लिए लगभग 70 प्रतिशत बीमाकृत व्यक्तियों को परिवार फोटो पहचान पत्र जारी किए गए ।

- 40/-रुपये प्रतिदिन मजदूरी पाने वाले 6 लाख से अधिक कामगारों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत अंशदान देने से छूट प्रदान की गई ।

- 01-04-2004 से प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार एकक के व्यय की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 750/- रुपये प्रतिवर्ष किया गया ।
- 01-04-2004 से क.रा.बी. योजना के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा 6500/-रुपये से बढ़ाकर 7500/- रुपये किया गया है ।

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

6.20 उपदान संदाय अधिनियम,1972 उन कारखानों/स्थापनाओं पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों । पांच वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर कर्मचारी अपनी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके भाग जो छह मास से अधिक का हो, के लिए 15 दिन की मजदूरी की दर से अधिकतम 3.50 लाख रुपये तक उपदान (ग्रेच्युटी) प्राप्त करने का हकदार है । मौजूदा अधिकतम सीमा 24.9.1997 से लागू है । अधिनियम के दायरे में आने के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा को भी 24.5.1994 से बढ़ाया गया है ।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923

6.21 अधिनियम के अंतर्गत उन कर्मकारों तथा उनके आश्रितों को मुआवजा देने का प्रावधान है जो कार्य करते हुए किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं (इसमें कुछ, कार्य के दौरान होने वाली बीमारियां शामिल है) तथा अपंगता अथवा मृत्यु हो जाती है । यह रेलवे कर्मचारियों तथा अधिनियम की अनुसूची 2 में उल्लिखित ऐसी किसी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होता है । अनुसूची-2 में फैक्टरियों, खानों, बागानों, यांत्रिक वाहनों, निर्माण मजदूरों तथा अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगे व्यक्ति शामिल हैं । पूर्ण स्थायी अपंगता तथा मृत्यु के लिए न्यूनतम मुआवजे के लिए क्रमशः 90,000/- रुपये तथा 80,000/- रुपये दिए जाते हैं । पूर्ण स्थायी अपंगता तथा मृत्यु के लिए अधिकतम क्रमशः 4.56 लाख रुपये तथा 5.48 लाख रुपये दिए जा सकते हैं जो कर्मकार की आयु एवं वेतन पर आधारित होता है ।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

6.22 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कुछ स्थापनाओं में कार्यरत महिलाओं को एक विशेष अवधि के लिए, बच्चे के जन्म के पहले तथा बाद में प्रसूति एवं अन्य लाभ दिए जाते हैं । यह अधिनियम खानों, फैक्टरियों, सर्कस उद्योग, बागानों, दुकानों तथा उन स्थापनाओं में लागू होता है जिनमें दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हों । (कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अधीन व्याप्त कर्मचारियों को छोड़कर) राज्य सरकारों द्वारा इसे अन्य स्थापनाओं पर भी लागू किया जा सकता है । अधिनियम के अंतर्गत व्याप्ति के लिए वेतन की कोई सीमा नहीं है ।

C:\WINDOWS.000\Desktop\Labour\Ann.rep.03\Chapter 6.doc/100604